न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 14/163

1. राजेन्द्र मिततल ।
2. सत्यनारायण मिततल पिसरान नवल किशोर मिततल जाति अग्रवाल महाजन निवासीगण 113 शक्तिनगर, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा ।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2012 के द्वारा ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 197 की 0.87 हैक्टर भूमि को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखते हुए नगर विकास न्यास कोटा को आंवटित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना स्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दान किये बिना ही अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना ही एकतरफा तौर पर उक्त आदेश पारित कर दिया । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.06.2014 को रेस्पोडेन्ट कम 2 के कर्मचारियों द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 03.04.2000 को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय में वादग्रस्त आराजी सिवायचक खात सरकार दर्ज करने का आदेश दिया था को अपीलान्ट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील में अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 26.09.2002 को निरस्त कर दिया ओर प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा के यहॉ रिमाण्ड कर दिया उसके बाद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आज तक भी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । ऐसी अवस्था में अपीलान्ट के खाते की उक्त भूमि को सिवायचक खात सरकार दर्ज नहीं किया जा सकता और न ही उक्त भूमि सिवायचक भूमि है । जिला कलक्टर कोटा को आबादी विस्तार हेतु केवल मात्र सिवायचक खाता सरकार भूमि को ही आवंटित करने का अधिकार प्राप्त है किसी खातेदार की भूमि को राज्य सरकार को अथवा किसी स्थानीय निकाय को आवश्यकता है तो उसे केवल मात्र भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा राशि देकर अवाप्त की जाकर स्थानीय निकाय को आवंटित की जा सकती है अन्यथा नहीं । उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 197 का रकबा 1.35 हैक्टर था जिसके खातेदार मुस0 शंकर बेवा बिरधीलाल तथा लटूर लाल, भीमराज, कन्हैयालाल, महावीर प्रसाद, लोकेश कुमार पिसरान बिरधीलाल थे जिनसे अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में से 0.87 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय कर दी और उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 16.02.99 को अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज की गई तब से ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12.04. 2012 के द्वारा ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 197 की 0.87 हैक्टर भूमि को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखते हुए नगर विकास न्यास कोटा को आंवटित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि उक्त आराजी सिवायचक भूमि थी जिसे आबादी विस्तार हेतु नगर विकास न्यास कोटा को आंवटित करने का आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 बहाल रखा जावे ।

कम 2 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कार्यालय जिला एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2012 के द्वारा ग्राम पुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 197 की 0.87 हैक्टर भूमि को भू–राजस्व धिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखते हुए नगर विकास न्यास कोटा को आंवटित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उक्त आवंटन किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 03.04.2000 को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय में वादग्रस्त आराजी सिवायचक खात सरकार दर्ज करने का आदेश दिया था को अपीलान्ट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील में अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 26.09.2002 को निरस्त कर दिया ओर प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा के यहॉ रिमाण्ड कर दिया उसके बाद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को आबादी विस्तार हेतु केवल मात्र सिवायचक खाता सरकार भूमि को ही आवंटित करने का अधिकार प्राप्त है किसी खातेदार की भूमि को राज्य सरकार को अथवा किसी स्थानीय निकाय को आवश्यकता है तो उसे केवल मात्र भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा राशि देकर अवाप्त की जाकर स्थानीय निकाय को आवंटित की जा सकती है अन्यथा नहीं । उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 197 का रकबा 1.35 हैक्टर था जिसके खातेदार मुस0 शंकर बेवा बिरधीलाल तथा लटूर लाल, भीमराज, कन्हैयालाल, महावीर प्रसाद, लोकेश कुमार पिसरान बिरधीलाल थे जिनसे अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में से 0.87 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय कर दी और उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 16.02.99 को अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.87 हैक्टर को रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कम 2 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कार्यालय जिला एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2012 के द्वारा ग्राम पुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 197 की 0.87 हैक्टर भूमि को भू–राजस्व धिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखते हुए नगर विकास न्यास कोटा को आंवटित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया को ध्यान में रखते हुए उक्त आवंटन किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 03.04.2000 को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय में वादग्रस्त आराजी सिवायचक खात सरकार दर्ज करने का आदेश दिया था को अपीलान्ट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील में अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 26.09.2002 को निरस्त कर दिया ओर प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा के यहॉ रिमाण्ड कर दिया उसके बाद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को आबादी विस्तार हेतु केवल मात्र सिवायचक खाता सरकार भूमि को ही आवंटित करने का अधिकार प्राप्त है किसी खातेदार की भूमि को राज्य सरकार को अथवा किसी स्थानीय निकाय को आवश्यकता है तो उसे केवल मात्र भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा राशि देकर अवाप्त की जाकर स्थानीय निकाय को आवंटित की जा सकती है अन्यथा नहीं । उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 197 का रकबा 1.35 हैक्टर था जिसके खातेदार मुस0 शंकर बेवा बिरधीलाल तथा लटूर लाल, भीमराज, कन्हैयालाल, महावीर प्रसाद, लोकेश कुमार पिसरान बिरधीलाल थै जिनसे अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में से 0.87 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय कर दी और उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 16.02.99 को अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.87 हैक्टर को रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा